<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज०)</u>

पीठासीन अधिकारी :-- संजीव मागो, आर०जे०एस० (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या :- 263/2026

एफ० आई० आर० संख्या :- 03/2026, थाना साईबर क्राईम, धौलपुर

अपराध अंतर्गत धारा :- 316(2), 318(4) बी.एन.एस. व 66 डी आई.टी. एक्ट

सुमित कुमार त्यागी पुत्र साहब सिंह, उम्र 23 साल, निवासी प्रताप विहार कॉलोनी, औंडेला रोड, थाना निहालगंज, जिला धौलपुर (राज०)

-प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, धौलपुर

-अप्रार्थी/अभियोगी

<u>जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :- 483 बी०एन०एस०एस०</u>

<u>उपस्थिति :-</u>

1- श्री अमरकान्त त्यागी, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।

2- श्री शैलेन्द्र सिंह मथुरिया, लोक अभियोजक राज्य की ओर से ।

<u>आदेश</u> <u>दिनांक : 09/03/2026</u>

1) प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । नकल जमानत आवेदन विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई ।

2) प्रकरण के तथ्यानुसार इस मामले में परिवादी ललित त्यागी की ओर से एक तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 23.2.2026 को थाना साईबर क्राईम, धौलपुर पर इस आशय की पेश की गई कि दिनांक 7.10.2025 को समय करीब 11-12 बजे के बीच उसके पास मोबाईल नंबर 8949858994 से कॉल आया कि मैं सुमित त्यागी बोल रहा हूं, मुझे पैसों की सख्यत जरूरत पड गई है और मेरा खाता बंद है इसलिए तेरे खाते में किसी के द्वारा अपने उधार पैसे डलवा रहा हूं जिनको निकाल कर अपने मिलने वाला तेरे पास भेज रहा हूं उसको दे देना, मैं किसी काम से बाहर हूं । तो इसने किसी के द्वारा पैसे डलवा दिये और उससे कहा कि तुरंत निकाल के ला सख्त जरूरत है । वह पैसे निकाल के लाया तो थोडी देर बाद सुमित स्वयं पैसे लेने आ गया । उसने अपना अकाउंट चैक किया तो खाता बंद हो गया । उसने कहा कि खाता क्यों बंद हो गया तो सुमित त्यागी तुरंत पैसे लेकर भाग गया जो फ्राड के थे । रिपोर्ट करता हूं, कानूनी कार्यवाही की जावे, इत्यादि । उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना साईबर क्राईम, धौलपुर पर प्राथमिकी संख्या 03/2026 दर्ज कर अनुसंधान जारी है व अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 316(2), 318(4) बी.एन.एस. व 66 डी आई.टी. एक्ट के आरोप बनना पाये गये हैं । प्रकरण में प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 26/02/2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है जिसके विरुद्ध अनुसंधान अधिकारी ने इस प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण दर्ज होकर विचाराधीन होना केस डायरी में अंकित नहीं किया है ।

Cr. Misc. Case No. - 263/2026 **सुमित कुमार त्यागी बनाम सरकार**

<u>जमानत प्रार्थना पत्र बावत आदेश दिनांक 09/03/2026</u>

3) प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी/ अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, उसको जबरन अपराध में संलिप्त किया गया है । उसका अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड की सजा से दंडनीय नहीं है । उसके कहीं फरार होने अथवा भागने की संभावना नहीं है । प्रकरण के अनुसंधान अथवा अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है । अतः उसे जमानत का लाभ प्रदान किया जावे ।

4) विद्वान लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध साईबार क्राईम से संबंधित अपराध के आरोप प्रमाणित पाए गए हैं । अतः उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

5) उभयपक्ष की ओर से दिये गये तर्कों पर मनन किया गया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

6) चूंकि प्रस्तुत प्रकरण अभी अनुसंधान के स्तर पर है जिसमें समय लगने की संभावना है। प्रकरण में प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 26/02/2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है जिसके विरुद्ध बताये गये आरोप मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं हैं । अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत व उचित प्रतीत होता है।

7) परिणामस्वरुप प्रार्थी/अभियुक्त सुमित कुमार त्यागी पुत्र साहब सिंह, उम्र 23 साल, निवासी प्रताप विहार कॉलोनी, औंडेला रोड, थाना निहालगंज, जिला धौलपुर (राज०) की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 03/26, थाना साईबर क्राईम, धौलपुर से संबंधित प्रकरण में प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर की संतुष्टि हेतु 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें एवं 50 हजार रुपये राशि का स्वयं का मुचलका अपनी नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत कर तस्दीक करादे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जावे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP(CRIMINAL)NO० 4/2021 आदेश दिनांक 28/3/2023 में पारित दिशा-निर्देश की पालना में आदेश की प्रति अधीक्षक, जिला कारागार, धौलपुर को जरिये ई-मेल भेजी जावे ।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर-राज०

यह आदेश आज दिनांक 09/03/2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर-राज०

MANISH SHARMA
PA cum EA "Authenticated Document" Digitally signed MANISH SHARMA Date: 2026.03.10 12:15:44 +0530